न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3548–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–9–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील खरगोन जिला खरगोन प्रकरण **कमांक** 11/अ–13/13–14

1–भगवान पुत्र श्री ओंकार पाटीदार
2–मोहन पुत्र श्री गोपाल पाटीदार
3–सुभाष पुत्र श्री मोहन पाटीदार
4–मोतीराम पुत्र श्री रणछोड़ पाटीदार
5–लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल पाटीदार
6–बाबूलाल पुत्र श्री रणछोड पाटीदार
7–लखन पुत्र श्री लेवा पाटीदार
8–रमेश पुत्र श्री मंशाराम पाटीदार
निवासीगण नारायणपुरा तहसील व जिला खरगोन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–देवदास पुत्र श्री काशीराम पाटीदार
2–शंकर पुत्र श्री काशीराम पाटीदार
3–मंगू पुत्र श्री काशीराम पाटीदार
निवासीगण नारायणपुरा तहसील व
जिला खरगोन म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील खरगोन जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नारायणपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 430, 353, 352, 374, 129, 432, 429 एवं 339 आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियॉ हैं एवं सर्वे कमांक 366 अनावेदक देवदास व सर्वे कमांक 363 अनावेदक शंकर की तथा सर्वे कमांक 362 अनावेदक मंगू की भूमियां है । आवेदकगण का अपनी भूमि पर जाने का परम्परागत रास्ता अनावेदकगण की भूमियो की मेढ़ से था, जिसका वे उपयोग करते चले आ रहे थे, परन्तु इस वर्ष अनावेदकगण द्वारा जोतकर आवेदकगण का रास्ता बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । आवेदकगण द्वारा प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–13/13–14 दर्ज कर दिनांक 1–9–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता रहा है, जिसे अनावेदकगण द्वारा रोका गया है, इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ते के निशानात पाये गये है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता नहीं खोले जाने का आदेश देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की भूमि पर जाने का एक मात्र प्रश्नाधीन रास्ता ही है जिसे भी अनावेदकगण द्वारा जोतकर बन्द कर दिया गया है, जिस कारण आवेदकगण अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु नहीं जा पा रहे हैं ।

अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर रहा है, जिसे अनावेदकगण द्वारा रोका गया है और आवेदकगण के पास कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1–9–14 निरस्त कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–9–14 को रास्ता नहीं खोले जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया हे और आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण का निराकरण नहीं होने के उद्देश्य से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । यदि आवेदकगण चाहते तो प्रकरण का तहसील न्यायालय में अंतिम रूप से निराकरण करा लेते । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अपनी प्रश्नाधीन भूमि पर एक वर्ष से कृषि कार्य कर रहे है और यदि वैकल्पिक मार्ग नहीं होता तो वह कृषि कार्य कैसे करते । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण की भूमि में से नवीन रस्ता चाहा गया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण में अभी अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है जहॉ आवेदक को पक्ष समर्थन व सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश को यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 1–9–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश का उल्लेख करते हुये प्रकरण में अंतिम स्वरूप का आदेश पारित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि कृषकों के निजी भूमिस्वामी स्वत्व के अधिकारों में हस्तक्षेप करने या नवीन रास्ता देने की अधिकारिता उन्हें नहीं है, इसलिये आवेदकगण को बैलगाड़ी का रास्ता नहीं दिया जा सकता है । यदि आवेदकगण 10 फीट चौड़ा बैलगाड़ी का रास्ता चाहते हैं तो वे सक्षम

न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं । उपरोक्त निष्कर्ष बिना साक्ष्य के निकाला जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये विवादित रास्ते का 3 माह के अन्दर अंतिम रूप से निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर